समाहरणालय मधेपुरा

(जिला विकास शाखा)

पत्रांक....483......../वि0
(सपत्र)

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।
अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज।

मधेपुरा दिनांक..18./10./.2013

विषय- मधेपुरा जिला अन्तर्गत चल रहे कोचिंग संस्थानों की सूची समर्पित करने के संबंध में ।

प्रसंग- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को संबोधित पत्रांक 393-2/वि0 दिनांक 05.06.201 एवं पत्रांक 2120/गो0, दिनांक 05.10.2013

महाशय,

आप अवगत है कि बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम, 2010 (अधिनियम की छायाप्रति संलग्न) लागू है। अधिनियम के प्रावधानानुसार अधिनियम प्रवृत होने के एक माह के अंदर सभी कोचिंग संस्थानों को निबंधन कराने की अनिवार्यता है। बिना निबंधन प्रमाण-पत्र के कोचिंग संस्थान न तो स्थापित किए जायेंगे और न ही संचालित किए जायेंगे। साथ ही कोचिंग संस्थानों के कार्यकलाप की जांच सक्षम पदाधिकारी से कराये जाने का भी प्रावधान इस अधिनियम में है। इस अधिनियम के या इसके अन्तर्गत निर्गत नियमावली एवं अधिसूचना के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए कोचिंग संस्थान पर शास्ति/दण्ड का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में कोचिंग संस्थान के विरूद्ध अथवा कोचिंग संस्थान के द्वारा दायर परिवाद का निपटारा अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किए जाने का भी प्रावधान है।

ऐसी सूचना है कि बिना निबंधन के ही कई कोचिंग संस्थान इस जिला में कार्यरत है एवं निबंधित कोचिंग संस्थानों के द्वारा भी अधिनियम के शर्तों की अनदेखी कर फलफूल रहे हैं। कोचिंग संस्थान के निबंधन हेतु गठित समिति के पदेन सदस्य-सचिव होने के नाते जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से इसमें लापरवाही बरती जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अब तक इस जिला में चल रहे कोचिंग संस्थानों की सूची समर्पित नहीं किया जाना बेहद खेदजनक है। अगर भविष्य में इस अधिनियम के शर्तो के उल्लंघन में किसी सांठ-गांठ (Nexus) का भंडाफोर होता है, तो इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध मानी जायेगी।

अतः आप सबों से अनुरोध है कि कोचिंग संस्थान के नियंत्रण एवं अधिनियम के लिए लागू अधिनियम में विहित प्रावधानों का शख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही जिले में चल रहे कोचिंग संस्थानों (निबंधित/ अनिबंधित) की सूची पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक- अधिनियम की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

18/10/13

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

पत्रांक : 11/नि – 02/2010/862

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग।

प्रेषक

अंजनी कुमार सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 20 मई, 2010।

विषय : बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत कोचिंग संस्थान के निबंधन के संबंध में

महाशय,

आप अवगत हैं कि बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एव विनियमन) अधिनियम 2010 (संख्या–11, दिनांक 28–04–2010) अधिनियमित (प्रति संलग्न) हो गया है। अधिनियम के प्रावधान के आलोक में अधिनियम के आरम्भ होने के एक माह के अन्दर सभी कोचिंग संस्थानों को निबंधन कराने की अनिवार्यता है। साथ ही बिना निबंधन प्रमाण–पत्र के कोचिंग संस्थान न तो स्थापित किये जायेगें और न ही संचालित किये जायगें। बिहार कोचिंग संस्थान (नियत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 9 एवं 10 के आलोक में कोचिंग संस्थान के निबंधन के संबंध में निम्न निदेश प्रतिपादित किये जाते हैं :–

1. सभी कोचिंग संस्थानों को अधिनियम आरम्भ होने के एक माह के अन्दर निबंधन हेतु संलग्न विहित प्रपत्र में (संलग्न) आवेदन आवेदित किये जायेगें।
2. निबंधन एक माह के अन्दर निबंधन की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने की स्थिति में पूर्व से संचालित कोचिंग संस्थान पूर्ववत् संचालित रहेंगे।
3. कोचिंग संस्थानों को सूचनाओं के साथ विहित प्रपत्र में पाँच हजार रूपये की राशि निबंधन शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
4. निबंधन शुल्क की राशि तत्काल अलग खाते में संधारित की जायेगी। वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त संबंधित शीर्ष में चालान से जमा की जायेगी।
5. जिला में उपलब्ध आधारभूत संरचना यथा स्कूल भवन, अनुपयोगी सरकारी भवन इच्छुक कोचिंग संस्थान को विशिष्ट शर्त्तों एवं बंधेज के साथ अनुबंध के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे कोचिंग संस्थान को संबंधित विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति के सहमति से निर्धारित किराया दर के आधार पर विद्यालयी कार्यअवधि के बाद उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है। किराये के रूप में प्राप्त शुल्क विद्यालय के विकास कार्य में उपयोग

होगा। विद्यालय के अलावे अन्य सरकारी भवनों का शुल्क राजस्व के रूप निर्धारित शीर्ष में जमा किया जायगा।

बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में कोचिंग संस्थान द्वारा निबंधन हेतु आवेदित आवेदन की समीक्षा/जाँचोपरान्त कर शीघ्र निबंधन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अजंनी कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 862 /   पटना, दिनांक 20 मई, 2010।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/5/10

प्रधान सचिव

D:\DHARAMVIR\Coaching Form2.doc2